



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270912
CG-DL-E-13032026-270912

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1210]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1210]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1266(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988) 1988 का 68) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11, भारत के राजपत्र, दिनांकित सितंबर 1, में प्रकाशित भारत 2017 .सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संका .आ .2862 (अ), दिनांकित सितंबर 1, को 2017 एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1266(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2862 (E), dated the 01st September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 01st September, 2017 with immediate effect.

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1267(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

नई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	चैनेज/लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
161एए	संगारेड्डी जिले के गिरमापुर गांव के निकट एनएच-65 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर रेड्डीपल्ली, ईस्लामपुर, प्रगनापुर, रायगिरी को जोड़ने वाला और तेलंगाना राज्य में तंगडापल्ली (चौतुप्पोल) के निकट एनएच-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	तेलंगाना राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

[फा -एनएच .सं .14013/6/2026पी एंड एम-]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1267(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highway as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage / Length (in KM)
(1)	(2)	(3)
161AA	The highway starting from its junction with NH-65 near Village Girmapur in Sangareddy District and connecting Reddypally, Isalampur, Pragnapur, Raigiri and terminating at its junction with NH-65 near Tangadapally(Choutuppol) in the state of Telangana.	Entire NH in state of Telangana

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director